न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –163/2013 जिला अलवर

पूरन सिंह पुत्र श्री चन्दर उम्र करीब 48 साल, जाति जाट, निवासी ग्रम हरसोली, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. श्री चन्द पुत्र श्री रतीराम
2. विजय सिंह पुत्र श्री रतीराम
3. कर्मवीर पुत्र श्री रतीराम, जाति जाट, निवासीयान हरसोली, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
4. सरपंच, ग्रम पंचायत हरसोली, तहसील व पंचायत समिति कोटकासिम, जिला अलवर (राज.)

असल रेस्पोंडेन्ट्स

5. सत्यनारायण पुत्र श्री रामकरन, जाति जाट, निवासी ग्रम हरसोली, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.)

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 26.8.2003

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री जर्नादन शर्मा
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक– 14.12.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 26.8.2003 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह कि ग्रम हरसोली, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2750 , 3094, 3103,3104, 3392 ,2759, 2778, 3091 का खातेदार मोहरीया पुत्र दाताराम कौम जाट था, जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 1220 ग्रम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर रतीराम, बनेसिंह, लल्लूराम के नाम दिनांक 16.7.1991 को तस्दीक किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट पूरन सिंह द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष दिनांक 28.6.2001 को मियाद बाहर पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.8.2003 द्वारा खारिज की गई । उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के उक्त निर्णय दिनांक 26.8.2003 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम दिनांक 26.8.2003 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1220 दिनांक 16.7.91 निरस्त किये जाने एवं मृतक मोहरिया की विरासत का इन्तकाल वसियत दिनांक 10.5.89 के आधार पर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं आने पर वकील अपीलान्ट की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार मोहरिया पुत्र दाताराम जाति जाट के तीन पुत्र रतीराम, बनेसिंह व लल्लूराम थे जिनके नाम मोहरिया द्वारा वसियत पंजीकृत कराई थी तथा रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा मोहरिया की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण भरा गया था , लेकिन ग्रम पंचायत द्वारा वसीयत की बजाय विरासत के आधार पर मृतक मोहरिया की समस्त आराजी का प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक कर दिया जिसमें मृतक मोहरिया की समस्त आराजी को 1/3 हिस्से में विभक्त किया गया है । वसियत के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 3094 रकबा 19 बिस्वा जो मृतक मोहरिया के पुत्र बने सिह व लल्लूराम के हिस्से में आया, को बने सिहं व लल्लू राम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट पूरन सिंह को विक्रय कर दिया । इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की आराजी का नामांतरकरण मोहरिया के तीनों पुत्रों के नाम 1/3 दर्ज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है । उनका कहना था कि आराजी खसरा नम्बर 3094 रकबा 19 बिस्वा में रेस्पोंडेन्ट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा न ही उनका मौके पर कब्जा है । अपीलान्ट उक्त आराजी पर खरीद से ही काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गोर किये बिना ही अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि आराजी खसरा नम्बर 3094 रकबा 19 बिस्वा मृतक मोहरिया से लल्लू राम व बनेसिंह के हिस्से में आई थी तथा उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपीलान्ट को विक्रय की एवं विक्रय पत्र के आधार पर भूमि के क्रेता पूरण सिंह के नाम नामांतरकरण तस्दीक हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील बिना किसी आधार के व प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया जावे तथा मृतक मोहरिया की विरासत का इन्तकाल वसियत दिनांक 10.5.89 के आधार पर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखां एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार मोहरिया की विरासत का नामांतरकरण वसियत के आधार पर मोहरिया के तीनों पुत्रों रतीराम, बनेसिंह व लल्लूराम के नाम तस्दीक नहीं कर ग्रम पंचायत हरसोली द्वारा मोहरिया के वारिसान रतीराम, बनेसिंह, लल्लूराम पुत्रान मोहरिया के नाम स्वीकार किया है, के संबंध में है । अपीलान्ट पूरन सिंह ने विवादित आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 3094 रकबा 19 बिस्वा बनेसिंह व लल्लूराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है तथा विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट पूरन के नाम नामांतरकरण भी तस्दीक हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश में माना है कि मृतक मोहरिया की आराजी पैतृक थी तथा पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती , फिर भी मोहरिया ने आराजी विवादित की वसीयत की है , जो वैध नही थी । इन्तकाल मुताबिक विरासत सही नहीं था तो उक्त के वारिसान रतिराम, बनेसिंह व लल्लूराम को इस तस्दीक इन्तकाल की अपील करनी चाहिये थी । इसी विरासत के आधार पर इन्तकाल स्वीकार हो चुका है जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड में हो चुका होगा । आराजी खसरा नम्बर 3094 रकबा 0.19

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बिस्वा बने सिंह व लल्लूराम को बेचते समय रतिराम को भी बैयनामा में शामिल करना चाहिये था, जो नहीं किया गया । पंचायत द्वारा वसियत को नहीं मानकर विरासत के आधार पर किया गया इन्तकाल उचित प्रतीत होता है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 26.8.2003 उचित एवं विधिसम्यक है तथा इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर